FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... जिला – बाड़मेर .... मुकाम ....

मेघाराम वगैरा बनाम आम्बासिंह वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 376/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/09/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/10/2022 को पेश हो। तहसीलदार गिड़ा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली नियत दिनांक 18/10/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
18/10/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/10/2022 को पेश हो।	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

जिला – बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/10/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त ~~[illegible]~~ मौका रिपोर्ट व मूल आवेदन पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 376 / 2022 दिनांक :– 19/10/2022

प्रार्थी

1. भैराराम पुत्र कालूराम
2. मेगाराम पुत्र वीखाराम

जाति राईका निवासी चीलानाडी, कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. आम्बसिंह पुत्र कुम्भसिंह
2. खीमसिंह पुत्र पुंजराजसिंह
3. दीपसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत निवासी चीलानाडी, कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
4. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सवाउ पदमसिंह
5. तहसीलदार गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO)

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 780 रकबा 8.1827 हैक्टेयर ग्राम चीलानाडी पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 903/794 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से होकर 30 फीट रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफका कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिड़ा को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार गिड़ा द्वारा तैयार की गई। तहसीलदार गिड़ा ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 780 रकबा 8.1827 हैक्टेयर में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 903/794 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया है, से रास्ता निकाला जाना उचित है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपने खेत से मुख्य सड़क तक आते जाते रहे है। चाहे गये रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बरंग रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का रकबा खसरा नम्बर 903/794 में से 0.1052 हैक्टेयर है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 903/794 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम किया जाये। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने हेतु सहमत है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थीगण के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थीगण को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 780 तक पहुंच सकें।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चीलानाडी पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 780 रकबा 8.1827 हैक्टेयर तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 903/794 में से 0.1052 हैक्टेयर का रास्ता मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बरंग लाल से दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ते के अनुसार कायम किया जाता है। जो ग्रेवल सड़क को जोड़ता है।

उक्त भूमि के खसरा नम्बर 903/794 का प्रतिकर डी.एल.सी. की दर प्रति बीघा से दुगना देय होगा। तहसीलदार गिड़ा प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.1052 हैक्टेयर की राशि 32374/- तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 32374/- नियमानुसार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19/10/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

19/10/22

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला [illegible]